राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 01/2022 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – बैंक ऑफ बडौदा शाखा नागौरी गार्डन भीलवाड़ा	बनाम	1. मैसर्स स्ट्रॉंग एण्ड बेटर एन्टरप्राईजेज गली नं. 2 उष्मा भवन, शारदा नगर, शाहंजापुर, मध्यप्रदेश 2. अनिल लुधांनी पुत्र कन्हैया लाल लुधांनी 3. प्रकाश कुमार पुत्र कन्हैया लाल लुधांनी मकान नं. 65, मैहताब की ताल के पास, सिन्धु नगर, भीलवाडा
–– प्रार्थी -		––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी– श्री विष्णु मोहन बोरदिया

निर्णय

दिनांक : 20.06.2022

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बडौदा नागौरी गार्डन भीलवाडा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी जिसमें अप्रार्थी को 330 लाख रूपये का ऋण दिनांक 27.11.2020 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति – मैसर्स विश्वास रिफ्रेक्ट्रीज पार्टनर्स प्रकाश कुमार लुधांनी पुत्र कन्हैया लाल लुधांनी अनिल लुधांनी पुत्र कन्हैया लाल लुधांनी की इण्डस्ट्रीयल भूमि एवं भवन जो आराजी नं. 2713/224, 24 एलएम स्टोन, ग्राम बैरां तहसील बनेडा, क्षेत्रफल 11 बीघा 18 बिस्वा, जो विपक्षी के स्वामित्व की हैं (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार)। दिनांक 31.08.2021 तक कुल बकाया ऋण की राशि 3,10,29,226.11/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 28.09.2021 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।